न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –01/2019 दायर दिनांक 04.01.2019 GCMS CASE NO-2019/00030

लालचंद पुत्र लच्छीराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा (भाम्भू वाली ढ़ाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ़

––प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी चक 4 पीपीएन तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भूधारक तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित–

1. श्री सर्वजीत छाबडा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राकेश कुमार मनचनन्दा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज. अप्रार्थी संख्या 2

–::निर्णय::– दिनांक : 23.12.2025

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरीराम ने स्वयं को भूमिहीन बताकर तथा पिता व स्वयं के धारण की भूमि को छुपाते हुए गलत तथ्य/सबूत तथा झूठा शपथ पत्र पेश कर सन् 1985 में रोही भगवानवाला बारानी के खसरा न0 136/3 में 9.10 बीघा, खसरा न0 136/2 में 4.00 बीघा, खसरा न0 136/4 में 13.16 बीघा कुल 27.06 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आवंटन करवा ली तथा दिनांक 08.08.08 को तहसीलदार सूरतगढ़ से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये जो भगवानवाला की जमाबंदी संवत 2068–71 से साबित है। इस भूमि के अतिरिक्त चक 1.825 आर.डी. के प.न. 155/35 में 1.063 है0 पत्थर न0 155/43 में 2.417 है0 पत्थर न0 155/44 में 0.506 है0, पत्थर न0 155/36 में 0.253 है0 कुल 4.239 है0 भूमि भी अपने नाम से पुख्ता आवंटन करवायी है, जो ग्राम 1.825 आरडी की जमाबंदी संवत 2070 ता 73 से साबित है। दोनों भूमियों को पुख्ता अलोट कराते समय एक दूसरी मिसल में तथ्यों को छिपाया जाकर, गलत व झूठे शपथ पत्र पेश करके आवंटन करवाया है। पुख्ता आवंटन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 के पिता हरीराम पुत्र श्री सहीराम के नाम चक 4 पी.पी.एन के खाता सं. 69 व 70 में कुल 38.10 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जो 4 पीपीएन की जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 स साबित है। उक्त भूमि में से प्रार्थी का 19.10 बीघा हिस्सा में आती है। जमाबंदी में सुरेन्द्र के नाम 2.846 है0 व 1.960 है0 अनकमाण्ड़ दर्शाई गई है, जबकि भूमि कमांड है। दोनों फसलें होती है वा तमाम भूमि में नहरी पानी से सिंचाई होती है। उक्त भूमि के अलावा चक 13 जे.डी. डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ में 20.00 बीघा नहरी कमांड भूमि दादा सहीराम के नाम थी सहीराम की मृत्यु अरसा पूर्व हो चुकी है। सहीराम के वा[illegible] राम, रूपराम वा हरफूल कुल पांच वारिसान है जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 के पि[illegible] के नाम 1/5 हिस्सा भूमि आती है, जो ग्राम 13 जेडीडब्लयू तहसील [illegible] 2 से साबित है। इसके अलावा चक 11 जे.डी.डब्लयू, प[illegible]णा तहसील [illegible]नगढ़ में हरीराम, रामप्रताप, हरफूल, सादुल सिंह, रूप सिंह पिसरान [illegible] 12.00 [illegible] नहरी भूमि दर्ज रिकार्ड [illegible] ग्राम 11 जेडीडब्ल्यू के इन्तकाल सं. 66 से भी साबित है। [illegible] भूमि में हरिराम का 1/5 [illegible]नता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट षडयन्त्र रचकर सरकार की कीमती भूमि को हड़प कर फायदा उठा रहा है, गलत शपथ पत्र देने के कारण दण्डनीय अपराध कारित किया है। अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:10:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा स्वयं एक वाद पत्र अनवानी रामप्रताप वगै0 बनाम शांति देवी वगै0 उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ की अदालत में प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें स्वयं अंकित किया है कि राजपुरा पिपेरन, भगवानवाला व चक 4 पी.पी.एन. में मृतक अमरूराम के नाम लगभग 120.00 बीघा भूमि थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 की दादी का 1/4 हिस्सा बनता था तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता की नानी मु. खींवणी की मृत्यु के बाद भी 1/3 हिस्सा है बनता है, उक्त तथ्य को भी अप्रार्थी द्वारा वरवक्त पुख्ता आवंटन वा टी.सी. छिपाकर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त किये है। अप्रार्थी आवंटन नियम 1975 के तहत 25.00 बीघा नहरी भूमि आवंटन का पात्र बनता है जबकि उसके धारण में दादी की भूमि को छोड़ भी दिया जाये तो 44.05 बीघा भूमि नहरी आती है यदि तमाम भूमि को जोडा जाये तो सीलिंग सीमा से अधिक भूमि बनती है। अप्रार्थी के पिता/दादा के नाम गांव भोजरासर तहसील लूणकरणसर व गांव मनेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर में भी 110.00 बीघा बारानी भूमि थी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैरकप्रकरण भूमि रकबा राज दर्ज करने के आदेश फरमावे तथा फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से वकील श्री सर्वजीत छाबडा उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री राकेश कुमार मनचन्दा हाजिर आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरीराम ने अपने पिता व स्वयं के धारण की भूमि को छिपाकर स्वयं को भूमिहीन बताकर, गलत तथ्य व सबूत तथा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर रोही भगवानवाला बारानी में ख.न. 136/3 में 9.10 बीघा, ख.न. 136/2 में 4.00 बीघा, ख.न. 136/4 में 13.16 बीघा कुल 27.06 बीघा भूमि आरजी आवंटन करवा ली। दादा–दादी के नाम की अंकित भूमि जो अप्रार्थी के पिता को चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. व 13 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ से प्राप्त भूमि को, कतई नहीं दर्शाया गया है। पिता को उक्त दोनों चको की भूमि में से 1/5 हिस्सा प्राप्त हुआ है जो जमाबंदी की नकलों से साबित है। अप्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पिता द्वारा उक्त भूमि अपने भाईयों के हक में त्याग कर दिया परन्तु 15.10.1955 के पश्चात बेचान/त्याग की गई भूमि को भी नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा अप्रार्थी के धारण में चक 1.825 आर.डी. के प.न. 155/35 में 1.063 है. प.न. 155/43 में 2.417 है. प.न. 155/44 में 0.506 है. प.न. 155/36 में 0.253 है. कुल 4.239 है. भूमि पुख्ता अलौट करवायी है, जो कि धारण में थी। भगवानवाला व चक 1.825 आर.डी.एल की भूमि अलग अलग है व पटवारी हल्का भी अलग अलग अप्रार्थी द्वारा पुख्ता आवंटन कराने से पूर्व उसके पिता हरीराम पुत्र श्री सहीराम के नाम चक 4 पी.पी.एन. में 38.10 बीघा भूमि थी जिसमें 19.10 बीघा भूमि अप्रार्थी के हिस्सा में आती थी जिसको केवल मात्र दर्शाया गया है शेष भूमि को छिपाया गया है जो कि जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 69 वा 70 में भी दर्ज है। उक्त दोनों खाता की भूमि खाता नं. 69 में 5.692 है0 व खाता सं. 70 में 3.921 है. भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है जिसमें सुरेन्द्र के नाम 2.846 है. वा 1.960 है0 जो कि अ.क. दर्शाई गई है जबकि तमाम भूमि कमांड है दोनों फसलें होती है वा तमाम भूमि में नहरी पानी से सिंचाई होती है। उक्त तथ्यों को स्वयं जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया है कि पिता के नाम 38.10 बीघा भूमि थी इसके अलावा चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. वा 13 जे.डी. डब्ल्यू. तहसील हुनमानगढ़ की भूमि में प्राप्त हिस्से को नहीं दर्शाया गया है। जबकि उसमें भी संभावित हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 को आता है। इसके अलावा दादी रूकमां देवी के नाम की भूमि को पूर्णतया छिपा लिया गया है। उक्त तमाम भूमि के अलावा चक 13 जे.डी. डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ में 20.00 बीघा नहरी कमांड भूमि दादा सहीराम के नाम थी सहीराम की मृत्यु अरसा पूर्व हो चुकी है सहीराम के वारिसान में हरीराम, रामप्रताप, सादुलाराम, रूपराम व हरफूल कुल पांच वारिसान है हरिराम अप्रार्थी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार के पिता है जिनके 1/5 हिस्सा भूमि आती है। उक्त भूमि को भी अप्रार्थी द्वारा छिपाया गया है नकल इन्तकाल सं. 132 से भी स्पष्ट है, जिसमें से अप्रार्थी का हिस्सा बनता है को छिपाया गया है। नकल इन्तकाल संलग्न है। जवाब प्रार्थना पत्र में अब स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उक्त चक 13 जे.डी.डब्ल्यू. वा चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. में भूमि दादा के नाम थी दादी की मृत्यु [illegible] 1/5 हिस्सा को अपने भाईयों के पक्ष में हक त्याग दिया जो कि ट्रांसफर की तारीफ [illegible] आता [illegible] प्रार्थना पत्र पुख्ता आवंटन में वा टी.सी. आवंटन में अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट होगा [illegible] इस भूमि को पूर्णतया छिपाया गया है। शिकायत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा [illegible] 13 जे.डी. डब्ल्यू. तहसील हुनमानगढ़ की भूमि के सबूत प्रस्तुत [illegible] स्वयं स्वीकार किया है। उक्त तमाम भूमि के अलावा चक 11 जे.डी.डब्लयू. पक्का सारणा तहसील हनुमानगढ़ में हरीराम, रामप्रताप,

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:10:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

हरफूल, सादुल सिंह, रूप सिंह पि. सहीराम के नाम 12.00 बीघा नहरी भूमि थी जो कि इन्तकाल सं. 66 से भी साबित है उक्त भूमि में हरिराम का 1/5. हिस्सा बनता है को भी छिपाया गया है। नकल इन्तकाल संलग्न है, जबाब प्रार्थना पत्र में भी अप्रार्थी स्वयं द्वारा उक्त तथ्य को शिकायत होने पर स्वीकार किया है. पुख्ता आवंटन के समय व टी.सी. आवंटन के समय उक्त तथ्यों को छिपाया गया है व गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है इसकी पुष्टि होती है। उक्त तमाम भूमि को छिपाते हुये अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में पुख्ता आवंटन करवाया है बल्कि असत्य कथन कर झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर सरकार को धोखा दिया है वा सरकारी मशीनरी से मिलकर भूमि प्राप्त की है जो कि स्पष्टया षड्यन्त्र रचकर सरकार की कीमती भूमि को हड़प कर फायदा उठा रहा है, गलत शपथ पत्र देने के कारण दण्डनीय अपराध कारित किया है। सरकार द्वारा फ.ई.र दर्ज करवानी चाहिये, जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा अपने आप को अपने माता पिता से अलग रहना बता रहा है, अप्राथी पुनः झूठे तथ्य अंकित कर अपना बचाव कर रहा है। अप्रार्थी अपने माता पिता के साथ जन्म से आज तक गांव में साथ रह रहा है जिसकी पुष्टि में विधान सभा निर्वाचन नामावली वर्ष 2008 भाग सं. 126 के कम सं. 1198, 1199, 1202, 1203, वर्ष 2013 की भाग सं. 145 के कम सं. 765, 766, 771, 772, 773 वर्ष 2018 की भाग सं. 162 के कम सं 852, 855, 856, 857, 859, 860 की सूचि से साबित है। जिसे लिखित बहस के साथ प्रस्तुत कर रहा है वा उक्त सूचि से यह साबित हो रहा है कि अप्रार्थी अपने माता पिता के साथ एक ही मकान व गांव चक 4 पी.पी.एन. में रह रहा है, जो कि शिकायत का एक मुख्य आधार है, अप्रार्थी का कथन पूर्णतया निराधार है। अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार द्वारा स्वयं एक वाद पत्र अनवानी रामप्रताप वगै. बनाम शांति देवी वगै. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ की अदालत में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें स्वयं अंकित किया है कि राजपुरा पिपेरन, भगवानवाला वा चक 4 पी.पी.एन. में मृतक अमरूराम के नाम लगभग 120.00 बीघा भूमि दर्शायी है जिसमें यह भी अंकित किया है कि मु. रूकमां जो कि अप्रार्थी की दादी है वा उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा बनता था मु. खींवणी (नानी) की मृत्यु के बाद 1/3 हिस्सा है बनता है, उक्त तथ्य को भी अप्रार्थी द्वारा बरवक्त पुख्ता आवंटन वा टी.सी. छिपाकर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त किये है। अप्रार्थी एक तरफ दावा के माध्यम से दादी की भूमि में हिस्सा दर्शा कर चला आ रहा है वही दूसरी ओर अपने पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को छिपाकर पुख्ता आंवटन करवाया है, जहाँ तक पिता की मृत्यु उपरान्त अपने नाम अधिक भूमि आने से बचने के लिये अपने पुत्रों द्वारा दादा की भूमि की बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो कि प्रकरण सं. 123/16 सुभाष बनाम सुरेन्द्र कुमार निर्णय दिनांक 20.09.2016 को पारित किया गया है इससे शिकायत प्रार्थना पत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है, इस तथ्य में देखने की बात यह है कि उक्त भूमि को बरवक्त पुख्ता आवंटन दर्शाया गया है या नहीं, धारा 11 व 14 कोलों. एक्ट 1954 एवं सीलिंग सीमा से बचने के लिये उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 8 में उल्लेख किया है कि अनवानी वाद पत्र राम प्रताप वगै. बनाम शांति देवी वगै0, मेरे चाचा द्वारा पेश किया गया है पूर्णतया असत्य है, अप्रार्थी चतुर वा चालाक किस्म का व्यक्ति है जो अब पुनः अब दूसरों को मूर्ख बना रहा है तथा जवाब शिकायत में असत्य कथन कर रहा है कि उसे जानकारी नहीं है जबकि वह स्वयं एक आवश्यक पक्षकार है वाद पत्र में वादी सं. 2/2 पर प्रकरण सं. 137/12 में अंकित है तथा उक्त प्रकरण में धारा 212 आर.टी.ए. में पारित निर्णय की नकल दिनांक 04.05.15 को राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन आदेश का अमल दरामद कराने हेतु तहसीलदार के समक्ष दिनांक 13.06.18 को प्रस्तुत किया है जिसकी चित्र प्रति संलग्न है तथा शांति देवी बनाम रामप्रताप वगै. के वाद पत्र में भी उसके द्वारा स्वयं बयान प्रतिवादी में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखा है उक्त तमाम तथ्यों की भली भांति जानकारी होते हुये भी स्वच्छ हाथों से ना आकर तथ्यों को छिपाकर अदालतवाला के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये है, नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.18 नकल फर्दअहकाम दिनांक 06.06.12 लगातार दिनांक 04.05.15 मय निर्णय दिनांक 04.05.15 उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ का प्रस्तुत कर रहा है प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.18 पर स्वयं अप्रार्थी के अंगूठा निशान है। अप्रार्थी द्वारा पुख्ता आवंटन के समय प्रार्थना पत्र व टी.सी आवंटन के समय पिता की समस्त भूमि दादा से प्राप्त भूमि व वादान्तर्गत भूमि को दर्शाया जाता तो उसे मात्र 2.00 बीघा भूमि का पात्र माना जाता, दादी के नाम से अंकित भूमि को यदि जोड़ा जाये तो अप्रार्थी आवंटन का पात्र ही नहीं बनता। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पुख्ता आवंटन परिचय पत्र व खातेदारी अधि[illegible]रने के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में तमाम तथ्यों को छिपाया गया है। राज्य सरकार [illegible] बनाम [illegible] नियमों के तहत सरकारी पक्ष को रखते हुये यह शिकायत प्रार्थना [illegible]स्तुत किया गया [illegible]कि अवैधानिक रूप से प्राप्त किये आवंटन का अनुचित लाभ अप्रार्थी [illegible] करने की कोई समय सीमा अंकित नहीं है। अप्रार्थी को उ[illegible] कोलो एक्ट 1954 की शर्तों के तहत अलौट हुई थी बरवक्त पुख्ता आवंटन जरिये मिस्ल सं. 69/97 उक्त भूमि दिनांक 11.02.97 को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:10:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पुख्ता अलीट की गई थी. बरवक्त पुख्ता आवंटन भूमि कोलो. विभाग में थी आवंटन के पश्चात उक्त भूमि डी–कॉलोनी में आने के कारण तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के तहत खातेदारी अधिकार दिनांक 08.08 2008 को प्रदान किये गये अप्रार्थी द्वारा बरवक्त टी.सी.आवंटन व बरवक्त पुख्ता आवंटन तथा बरवक्त खातेदारी अधिकार प्राप्त करते समय भी अपने पिता के नाम से व दादा–दादी तथा नानी से प्राप्त भूमि को भी नहीं दर्शाया गया है गलत तथ्य प्रस्तुत किये तथा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उसमें भी तथ्यों को छिपाया गया है आधारहीन तथ्यों तथा दुर्व्यपदेशन के द्वारा भूमि आवंटन करवायी है जो कि विधि विरूद्ध है। अतः लिखित बहस मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा जो शिकायत प्रार्थना पत्र व सबूत प्रस्तुत किये है वह सरकारी दस्तावेज है जो कि सत्यता रखते है, अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब या अन्य दस्तावेज के द्वारा असत्य सिद्ध नहीं किया है उक्त दस्तावेज से शिकायत की पुष्टि होती है तथा सरकार को धोखा देकर भूमि आंवटन करवाई है इससे सरकार को आर्थिक नुकसान भी पहुँचाया है तथा गांव के अन्य भूमिहीन व्यक्तियों के हितों पर चोट की है भूमि निरस्त किये जाने योग्य है, झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के कारण फौजदारी प्रकरण भी दर्ज करवाया जाकर भूमि तमाम रकबा राज घोषित करने व कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन तहसीलदार उपनिवेशन द्वारा मुझ अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार को वर्ष 1985 में चक भगवानवाला बारानी में खसरा नं. 136/3 में 9.10 बीघा 136/2 में 4.00 बीघा, 136/4 में 13.16 बीघा इस प्रकार कुल 27.06 बीघा अनकमांड भूमि का आरजी काश्त आवंटन किया गया। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का आवंटन पिता हरीराम के धारण की चक 4 पीपीएन की कुल 38.10 बीघा में मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को आने वाले 1/4 वे हिस्सा को कम करके किया गया। जबकि हरीराम की उक्त भूमि में स्वयं हरीराम, पत्नी, दो पुत्र एवं एक पुत्री का हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता था। इस प्रकार मै 42.00 बीघा बारानी भूमि आवंटन का पात्र था परन्तु केवल 38.10 बीघा बारानी भूमि ही आवंटित की गई। प्रार्थी का कथन है कि वरवक्त आवंटन दादा–दादी की तहसील हनुमानगढ़ के 11 जे.डी.डब्ल्यू की 3.036 है0 एवं 13 एस.डी.डब्ल्यू. की 5.060 है0 में पिता के 1/5 हिस्सा अर्थात 1.619 है0 कमाण्ड भूमि को छुपाया गया है। यदि पिता हरीराम का 1/5 हिस्सा माना भी जावे तो भी उक्त 1/5 हिस्सा में आगे हरीराम स्वयं, पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी अर्थात प्रत्येक के हिस्सा में 1/5 हिस्सा अर्थात की मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा में 1/5 हिस्सा यानि 0.324 है0 कमाण्ड़ भूमि आती है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि का ज्ञान ही नहीं था क्योंकि पिता हरीराम ने अपने हिस्सा की उक्त अपने भाईयों के पक्ष में हक त्याग कर दी थी। प्रार्थी का कथन है कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 ने चक 1.825 आर.डी. के पत्थर नं. 155/35, 155/43, 155/44, 155/36 की कुल 4.239 हैक्टयर भूमि तथ्य छुपाकर आवंटन करवाई है, जो कि गलत है। अप्रार्थी को आवंटित रोही भगवानवाला तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 136/3 में 9.10 बीघा 136/2 की 4.00 बीघा, 136/4 में 13.16 कुल 27.06 बीघा भूमि बरवक्त जमाबन्दी चक 1.825 आरडी. के खसरा नं. 136/2 का व 136/4 का 17.16 बीघा अनकमाण्ड का पत्थर नं. 155/43, 155/44, 155/36, 155/35 में 16 बीघा 15 बिस्वा अनकमाण्ड पैमूद हुआ, जो पर्चा खतौनी से साबित है। यह स्पष्ट रुप से अप्रार्थी के पूर्व आवंटन 27–10 बीघा अनकमाण्ड से चकबन्दी में पैमूद हुई भूमि है। इसलिये नया आवंटन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त तहसील लूणकरनसर में अप्रार्थी या उसके पिता द्वारा कहीं भी भूमि खरीद नहीं की है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने माता–पिता के साथ ही रह रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 2000 Page 141, 151, RRD 2007 Page 158, RRW 2005 (RJ) 211, 2007 Page 102, RRD-1978 Page 249, RRD-1992 Page 408 आवंटन नियम–1975 के नियम–[illegible] एवं अधिवासित कृषि भूमि आरजी आवंटन शर्ते–1970 के नियम–14(4) तथा RRD-200[illegible], RRD-2009 Page 629 की ओर ध्यान दिलाया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:10:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रथम बिन्दु यह है कि अप्रार्थी को उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.08.1985 को चक भगवानवाला तहसील सूरतगढ़ में खसरा नं. 136/3 में 9.10 बीघा, 136/2 में 4.00 बीघा, 136/4 में 13.16 बीघा कुल 27.06 बीघा बारानी का आरजी काश्त पर आवंटन किया गया। जबकि आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 01 के पिता हरीराम पुत्र श्री सहीराम के नाम चक 4 पी.पी.एन के खाता सं. 69 व 70 में कुल 38.10 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, जिसमें से प्रार्थी के हिस्सा में 19.10 बीघा भूमि आती है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि बरवक्त आवंटन पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी के परिवार में दो भाई व पिता जीवित होना अंकित किया है तथा अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 पिता हरीराम के नाम चक 4 पीपीएन में 38.10 बीघा अनकमाण्ड दर्ज रिकार्ड होना बताया है। इस अनुसार आवंटन के समय 1/3 हिस्सा प्रार्थी का करीब 13.00 बीघा बारानी बनता है। पिता के हिस्सा में संभावित भूमि को छोडकर अप्रार्थी संख्या 1 अन्य 37.00 बीघा बारानी का पात्र बनता था, उसे जबकि आवंटन मात्र 27.6 बीघा का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी की माता व बहिन जिन्दा बताई जा रही है, जिनका भी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता हरीराम की भूमि में हिस्सा बनता है जिसके अनुसार अप्रार्थी का सम्भावित हिस्सा 1/5 बनता है। इस प्रकार मै 42.00 बीघा बारानी भूमि आवंटन का पात्र था। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को चक 1.825 आर.डी. पत्थर नं. 155/43, 155/44, 155/36, 155/35 में 16.15 बीघा अर्थात 4.239 है0 बारानी भूमि बताई जा रही है वह ग्राम भगवानवाला के खसरा नं. 136/2 व 136/4 की 17 बीघा 16 बिस्वा का ही भाग है जो खसरों से चकबंदी के समय चक व पत्थर नम्बर में पैमूद हुआ है। समग्र रुप से विचारण करने पर अप्रार्थी के धारण में आरजी काश्त प्रश्नगत भूमि 27.10 बीघा बारानी (चकबन्दी में अनकमाण्ड) व पिता की घोषित 38–10 बीघा में सम्भावित 1/5 हिस्सा की 8.00 बीघा अनकमाण्ड जोड़ने पर करीब 35.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि बनती है। अप्रार्थी वर्तमान में 15.00 बीघा अनकमाण्ड नियमानुसार और प्राप्त कर सकता है। यदि दादा, दादी, नाना–नानी आदि को आरोपित भूमि की गणना कथन प्रार्थी से की जावे, तब भी वह 2.00 बीघा कमाण्ड अथवा 4.00 बीघा अनकमाण्ड से अधिक नहीं बनती। गांव भोजरासर व गांव मनेरा तहसील लूणकरणसर की भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 का आवंटन 40 वर्ष पुराना है जिसे हम प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RBJ 2016 पेज 418 एवं AIR 1994 (SC) Page 1128 के अनुसरण में हम तकनीकी आधार पर निरस्त किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से हम निरस्त करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:10:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner